

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302035)
email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph/FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक एफ. 1(4)(1)नपा/रानिआ/14/1357

दिनांक: 04.02.2026

आदेश

राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर द्वारा अधिसूचना संख्या एफ 8(जी.ए)() Rules/DLB/19 दिनांक 31.01.2019 के द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन करते हुए राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 2019 जारी उपाध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु नवीन अध्याय-V जोड़ा गया है।

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 2019 में उक्त अध्याय के नियम 86(3) में यह अंकित किया गया है कि उपाध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र का प्रारूप अनुसूची-IV के अनुसार होगा, परन्तु मतपत्र के साईज एवं अभ्यर्थियों के पैनेल हेतु स्थान के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 97 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग उपाध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र का प्रारूप के संबंध में निम्नांकित दिशा-निर्देश जारी करता है:-

1. मतपत्र की चौड़ाई 4" होगी।
2. मतपत्र में अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार अंतिम अभ्यर्थी के नाम के बाद में 'नोटा' (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प उपलब्ध रहेगा।
3. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम एवं नोटा हेतु विकल्प मतपत्र में बाईं ओर एक पैनेल में प्रदर्शित होंगे।
4. मतपत्र में अभ्यर्थियों एवं नोटा हेतु विकल्प के लिए आवंटित स्थान (पैनेल) की ऊंचाई 2 CM होगी।
5. अभ्यर्थियों के पैनेल एक दूसरे से 5 MM मोटी छायादार (Shaded) लाईन से पृथक किए जाएंगे।

यह आदेश आयोग के पूर्व आदेश क्रमांक 3173 दिनांक 29.08.2019 को अधिक्रमित करते हुए जारी किया जाता है। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय

(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक: एफ. 1(2)(1) नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1358-1363
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलक्टर), राजस्थान।
4. समस्त रिटर्निंग अधिकारी माफत जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर को समस्त संबंधितों को ई-मेल करवाने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
6. लेखा/कम्प्यूटर/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग राज., जयपुर।

दिनांक :- 04.02.2026

(अम्बालाल मीणा)
उप सचिव

अनुसूची-4
(नियम-86 (3) देखिए)
मत-पत्र

.....* नगरपालिका बोर्ड/नगर परिषद/नगर निगम के
उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson) के पद के लिये निर्वाचन

रिटर्निंग अधिकारी के
हस्ताक्षर एवं मुद्रा

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	मत चिन्ह
---------	-----------------	----------

1.

2.

3.

4.

5.

..... एवं इत्यादि

इनमें से कोई नहीं (NOTA)

* यदि अनुपयुक्त हो तो काट दीजिये।